न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 04/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/334)

अपीलांट	बनाम रेस्पोडेन्ट
1. बलवीर सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।
2. नानक सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	2. कुन्दन सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।
3. बलविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी आमरेवाला तहसील व जिला फिरोजपुर पंजाब।	3. अमरजीत कौर पत्नी केहर सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।
4. विध्या बाई पत्नी तारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	4. कृष्णा पुत्री केहर सिंह पत्नी रिछपाल सिंह जाति रायसिख निवासी 30 पी टी डी तहसील अनुपगढ।
5. रज्जा बाई पुत्री तारा सिंह पत्नी छिन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी गुरूसर मण्डी ज्यायेवाला तहसील व जिला फिरोजपुर पंजाब।	5. गुरदीप सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी 3 जी एम पुरखा सिंह ढाणी गोमावाली तहसील विजयनगर।
6. परमजीत कौर पुत्री तारा सिंह पत्नी बिन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी पिण्डी तहसील व जिला फिरोजपुर।	6. बलजीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी मादोपुरी पोस्ट ऑफिस बडापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर उतर प्रदेश।
7. महेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	7. गुरमीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी मादोपुरी पोस्ट ऑफिस बडापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर उतर प्रदेश।
8. छिन्द्र कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	8. मंगल सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी मादोपुरी पोस्ट ऑफिस बडापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर उतर प्रदेश।
	9. टरोबाई पत्नी प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी मादोपुरी पोस्ट ऑफिस बडापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर उतर प्रदेश।
	10. सरजीत कौर पुत्री प्यारा सिंह जाति रायसिख निवासी मादोपुरी पोस्ट ऑफिस बडापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर उतर प्रदेश।
	11. पालो बाई पुत्री निहाल सिंह पत्नी जरनैल सिंह जाति रायसिख निवासी 31 जी.बी. तहसील पदमपुर।
	12. ज्ञानो बाई पुत्री लधा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।
	13. ज्ञान सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी मादोपुरी पोस्ट ऑफिस बडापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर उतर प्रदेश।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम- 1956

तारीख रजू:- 26.07.2023

उपस्थित: 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण

--निर्णय-- दिनांक: 28.03.2025

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि चक 9 एस ए के खाता संख्या 36/29 के मुरब्बा नम्बर 21 की 6.070 हैक्टेयर भूमि अपीलान्टगण एंव रेस्पोडेन्टगण के पिता/दादा/ससुर निहाल सिंह पुत्र सौदागर सिंह के नाम से दर्ज थी, जो जद्दी जायदाद की भूमि थी, जिसमें अपीलान्टगण का जन्म से हक एंव हिस्सा बनता है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ता 11 ने निहाल सिंह के नाम दर्ज उक्त 6.070 हैक्टेयर आराजी को हडप करने की नियत से निहाल सिंह के स्थान पर फर्जी व्यक्ति खडा करके एक फर्जी एंव कूटरचित तथा शून्य एवं अवैध वसीयत दिनांक 02.06.1974 तहरीर करवाकर रेस्पोडेन्टगण 1 ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर एंव पटवारी हल्का से मिलीभगत करके उक्त तथाकथित वसीयत का इन्तकाल संख्या 347 दिनांक 21.07.2022 अपने नाम से दर्ज करवा लिया। निहाल सिंह कभी भी रेस्पोडेन्टगण के पास नहीं रहा और ना ही रेस्पोडेन्टगण द्वारा कभी भी निहाल सिंह की सेवा चाकरी की गई है। निहाल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सिंह शुरू से ही अपीलान्टगण व उनके परिवार के साथ रहता रहा है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण ने उक्त वसीयत फर्जी व कूटरचित तथा शून्य व अवैध तैयार कर उक्त भूमि का वसीयत इन्तकाल अपने नाम गलत आधारो पर दर्ज करवाया है, जो काबिले खारिजी के है। अपील दायर से 10 रोज पूर्व अपीलान्टगण रेस्पोडेन्टगण से मिले तथा उन्हें उक्त भूमि का वसीयत इन्तकाल संख्या 347 निरस्त करवाने के लिए कहा और यह भी कहा कि वे विरास्तन की रूह से उक्त भूमि का इन्तकाल दर्ज करवा देवे, तो रेस्पोडेन्टगण ने इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर चक 9 एस के खाता संख्या 36/29 के मुरब्बा नम्बर 21 में 6.070 हैक्टेयर नहरी भूमि जो निहाल सिंह के नाम दर्ज थी, का वसीयत इन्तकाल संख्या 347 दिनांक 21.07.2022 जो ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर द्वारा दर्ज किया गया है, को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2- अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 13 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह, उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 की ओर से आपत्तिया पेश की। आपत्ति में अर्ज किया गया कि निहाल सिंह कभी भी अपीलान्टगण के पास नहीं रहा है और ना ही अपीलान्टगण द्वारा कभी निहाल सिंह की सेवा चाकरी की गई। जबकि निहाल सिंह शुरू से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उनके परिवार के साथ रहता था। जिसने मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर उक्त वसीयत करवाई थी। उक्त वसीयत उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में पंजीकृत है। ऐसी पंजीकृत वसीयत का फर्जी एंव कूटरचित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलान्टगण के मन में लालच आया हुआ है और वह अब अधिक भूमि प्राप्त करने की इच्छा से एंव मुझ रेस्पोन्ट संख्या 2 का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से रेस्पोडेन्ट के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 13 की ओर से आपत्ति पेश कर अर्ज किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तो हम रेस्पोडेन्टगण को कोई एतराज नहीं है।

3- बहस अपीलांट अधिवक्ता सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 76/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 78/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 79/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 80/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का 81/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 82/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 83/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 36/29 की प्रति, चक 9 एस ए के इन्तकाल संख्या 347 दिनांक 21.07.2022 की प्रति, वसीयत दिनांक 02.06.1974 की छायाप्रति, दस्तबरदारी दिनांक 24.08.1999 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण के द्वारा राजस्व ग्राम 9 एस ए के इन्तकाल सख्या 347 दिनांक 21.06.2022 को खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 76/36, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 78/36, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 79/36, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 80/36, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 81/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सख्या 82/36, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 83/36, राजस्व ग्राम 9 एस ए, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 36/29 में भूमि रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रविष्टि क्रमांक संख्या 347 दिनांक 21.06.2022, स्वीकृत दिनांक 21.07.2022 में वसीयत दिनांक 02.06.1974 की रूह से वादगत भूमि रेस्पोडेन्टगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। लिहाजा वसीयत दिनांक 02.06.1974 को खारिज करवाने हेतु किसी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं की गई। वसीयत दिनांक 02.06.1974 अस्तित्व में है। अतः राजस्व ग्राम 9 एस ए के नामान्तरण संख्या 347 दिनांक 21.06.2022, स्वीकृत दिनांक 21.07.2022 को खारिज किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट विरूद्ध वसीयत इन्तकाल संख्या 347 दिनांक 21.06.2022, स्वीकृत दिनांक 21.07.2022 भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज/अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)